



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 सितम्बर, 1985

भाद्रपद 22, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1663 / सत्रह-वि०-1-1(क)-34-1985

लखनऊ, 13 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 13 सितम्बर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1985

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम है

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1985

के नाम से जाना जायगा।

(2) यह 7 अगस्त, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 8
सन् 1952 की
धारा 53 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 53 में, उपधारा (1) में, शब्द "सात वर्ष" के स्थान पर शब्द "आठ वर्ष" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
शिवाधार तिवारी,
विशेष सचिव।

No. 1663(2)/XVII-V—1-1(KA)-34-1985
Dated Lucknow, September 13, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1985.

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. ACT NO 26 OF 1985]
(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

to further amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

- Short title and commencement* 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1985.
(2) It shall be deemed to have come into force on August 7, 1985.
- Amendment of section 53 of U. P. Act no. 8 of 1952* 2. In section 53 of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, in sub-section (1), for the words "seven years" the words "eight years" shall be substituted.

By order,
SHIVADHAR TEWARI,
Vishesh Sachiv.